

बिहार सरकार,
पथ निर्माण विभाग

*
अधिसूचना

या :- प्र०-6/नियम-03-04/2002 5737 (S) /पटना, दिनांक 07-05-07

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या ए२/नियम 3-01/97 - 4009 (एस) दिनांक 28 जून को अवक्रमित रूप में राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा पंजीकृत बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 को जन साधारण की जानकारी हेतु एतद द्वारा प्रकाशित की जाती है।

नियम

(i) यह बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 कहलायेगी।

(ii) यह नियमावली प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

ठीकेदारों को पथों एवं पुलों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :-

श्रेणी 1 : 3.50 करोड़ रुपये से ऊपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

श्रेणी 2 : 70 लाख रुपये से 3.5 करोड़ रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

श्रेणी 3 : 70 लाख रुपये से कम तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

उपर्युक्त श्रेणियों के लिए निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :-

श्रेणी 1 : 2.00 लाख रुपये

श्रेणी 2 : 1.00 लाख रुपये

श्रेणी 3 : 25 हजार रुपये

३

4. (क) निबंधन 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।

(ख) अभियंता प्रमुख अथवा मुख्य अभियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगे।

(ग) उपरोक्त तीनों श्रेणियों के पंजीकृत संवेदक सम्पूर्ण बिहार में कहीं भी निविदा डालने के लिये सक्षम होंगे।

5. पंजीकरण के लिए निम्नलिखित कार्याज्रात संवेदक को जमा करनी होगी :-

(क) प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

(ख) PAN रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति

(ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof)

(घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट " अवर सचिव (लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना " के पक्ष में देय तथा पटना में भुगतये हो।

(च) यदि पार्टनरशीप या लोक सीमित कंपनी हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशीप डीड, /कम्पनी बाई लॉ की प्रति।

6. सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों के स्वीकृत सूची से हटाये गये व्यक्ति, पदावनत किये गये संवेदक, निलंबित सरकारी सेवक एवं न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति को किसी फर्म के सदस्य एवं व्यक्तिगत आवेदक होने की स्थिति में उनका निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।

नवीकरण :- पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

नवीकरण हेतु आवेदन देने के लिए अनुग्रह अवधि निबंधन समाप्त हो जाने की तिथि से एक माह तक होगी।

पथ निर्माण विभाग के विभिन्न श्रेणी में वर्तमान निबंधित टीकरेदारों को संशोधित निबंधन नियमावली के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपने निबंधनों का नवीकरण कराना होगा जिसके लिए उन्हें नवीकरण का निबंधन शुल्क जमा करना होगा और ऐसा

३

परिशिष्ट - "क"

(केवल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के व्यवहार्थ)

अनियोजित अभियंताओं के निबंधन/नवीकरण के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम

उसकी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं पूरा पता:-

आवेदक का
अभिप्रमाणित
फोटो

2. शैक्षणिक योग्यता:-

(डिग्री/डिप्लोमा) प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित
छायाप्रति संलग्न की जाय।

3. अंचल जिसमें सूचीकरण कराना चाहते हैं:-

4. निबंधन शुल्क जमा करने के संबंध में विवरणी

बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक-

मूल्य.....

बैंक का नाम-

टिप्पणी:-

1. अनियोजित अभियंता वैसे अंचल में निबंधन कराने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा।
2. नजदीकी संबंधी पद से तात्पर्य है पति/पत्नी/माता/पिता/भाई अथवा बहन।
3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरा नाम ठीकेदार के रूप में विभाग/अन्य कार्य विभाग में अभी किसी वर्ग में सवेदक/फर्म/प्रा०लि० कम्पनी में साझीदार के रूप में नहीं है।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर और पता

परिशिष्ट - 'ख'

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अनियोजित अभियंता का निबंधन प्रमाण-पत्र

श्री

पता

आवेदक का
अभिप्रेमाणित
फोटो

को श्रेणी अ0प्र0/श्रेणी-03 (तृतीय)/अनियोजित अभियंता संख्या
का कार्यक्षेत्र/ कार्य अंचल के लिए अवधि दिनांक.....
से तक के लिए लोक स्वास्थ्य
अभियंत्रण विभाग के अधीन सूचीकृत/निबंधित किया जाता है।

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्री को सूचनार्थ अग्रसारित।

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

आवेदक का हस्ताक्षर

प्रहत्वपूर्ण सूचनाएँ:-

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें।

1. PAN कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
2. आवेदन पत्र में चिपकायी गयी फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
3. Address Proof जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
4. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र जो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
5. नियोजित नहीं है एवं संवेदक के किसी श्रेणी में निबंधित नहीं हैं, के संबंध में शपथ-पत्र।
6. 25000/- (पच्चीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट, जो अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से हो तथा जो स्थानीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना में भुगतये हो, मूल रूप से संलग्न करें।

उपर्युक्त के बिना निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ज्ञापांक-प्र0-6/नियम-03-04/2002

5738(5)

/पटना, दिनांक 07-05-07

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को अगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

Dr. H. M. ...
सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5738(5)

/पटना, दिनांक 07-05-07

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ सभी मुख्य अभियंता/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Dr. H. M. ...
सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5738(5)

/पटना, दिनांक 07-05-07

प्रतिलिपि :- सरकार के आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, 1. वित्त विभाग, 2. माध्यमिक, प्राथमिक एवं जन शिक्षा विभाग, 3. उच्च शिक्षा विभाग, 4. कृषि/कृषि (विशेष कार्यक्रम) विभाग, 5. पथ निर्माण विभाग, 6. गृह (आरक्षी)/गृह कारा/गृह (नागरिक सुरक्षा)/गृह (विशेष)/गृह (होमगार्ड)/गृह (अग्नि सेवा)/गृह (सैनिक कल्याण निदेशालय) विभाग, 7. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, 8. उद्योग विभाग, 9. ई-ख विभाग, 10. स्वास्थ्य विभाग, 11. जल संसाधन विभाग, 12. चिकित्सा शिक्षा एवं

परिवार कल्याण विभाग, 13. भवन निर्माण विभाग, 14. आवास विभाग, 15. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, 16. सहकारिता विभाग, 17. लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग, 18. ग्रामीण विकास विभाग, 19. ग्राम्य अभियंत्रण संगठन एवं पंचायती राज, 20. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सगन्धय विभाग, 21. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, 22. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, 23. राजभाषा विभाग, 24. निबंधन विभाग, 25. नागरिक विमानन विभाग, 26. उर्जा विभाग, 27. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 28. खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, 29. वित्त (राष्ट्रीय बचत) विभाग, 30. वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग, 31. वन एवं पर्यावरण विभाग, 32. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, 34. आपदा प्रबंधन विभाग, 35. विधि विभाग, 36. खान एवं भूतत्व विभाग, 37. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 38. संसदीय कार्य विभाग, 39. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, 40. योजना एवं विकास विभाग, 41. विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग, 42. परिवहन विभाग, 43. नगर विकास विभाग, 44. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, 45. पर्यटन विभाग, 46. लघु सिंचाई विभाग, 47. कल्याण विभाग, 48. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, 49. राजस्व पर्वत, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

7/5/07
सरकार के संयुक्त सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

6/11/07

(vi) ठीकेदार द्वारा सरकारी साभान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।

(vii) ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रघन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।

(viii) एक से अधिक बार कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।

(ix) किसी अपराधिक गतिविधि में सजायपता होने पर।

(x) सोची-समझी साजिश के तहत संघ/समूह (Cartel) बनाकर निविदा में भाग लेना/बहिष्कार करना।

(ख) किसी विशिष्ट श्रेणी के ठीकेदार को काली सूची में दर्ज करने अथवा पदावनत (Demote) करने अथवा निलंबन करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

(ग) काली सूची में डालने पदावनत (Demote) करने का आदेश/निलंबन का आदेश संबंधित कोटि के निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हों के द्वारा पारित किया जा सकेगा।


(घ) दिये गये दण्ड के विरुद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा।

एक बार किसी व्यक्ति फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद इसके मूलभूत संरचना में परिवर्तन के लिये नया निबंधन करना अनिवार्य होगा।

निबंधन में अंकित 'पावर ऑफ एटारनी' में परिवर्तन की स्थिति में विभाग से आदेश प्राप्त होने पर ही निविदा में इसकी मान्यता दी जायेगी।


निबंधन में अंकित पता परिवर्तन होने पर इसकी सूचना निबंधन कार्यालय को देना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


7/5/07
(मोईजुर रहमान)

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



नहीं करने पर उनके निबंधनों की विधि मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। उनसे यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वे संशोधित नियमावली में अपेक्षित कागजातों को जमा करें और संशोधित नियमावली की शर्तों को पूरा करें।

जिन संवेदकों के पुराने निबंधन नियमावली के अन्तर्गत निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन लंबित हैं, उनके द्वारा संशोधित नियमावली के जिस श्रेणी में निबंधन/नवीकरण कराना चाहते हों उस श्रेणी की राशि तथा पूर्व में जमा की गई चालान की राशि का अंतर जमा करना होगा।

10. आवेदन पत्र :- इच्छुक संवेदक गण परिशिष्ट- 'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे; निम्न द्वारा परिशिष्ट- 'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

काली सूची तथा निलंबन :-

(क) व्यवितगत रूप से ठीकेदार या निबंधित फर्म के किसी साझीदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण पथ निर्माण विभाग के किसी श्रेणी में निबंधित ठीकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जा सकेगा अथवा निश्चित अवधि के लिये निलंबित किया जा सकेगा अथवा अपने श्रेणी से नीचे के श्रेणी में पदावनत (Demote) किया जा सकेगा :-

- (i) संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।
- (ii) एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।
- (iii) निविदा कागजातों की प्राप्तियां, निविदा कागजातों का प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिये।
- (iv) ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।
- (v) संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।

अनेक्सचर - "क"

ठीकेदारों के निबंधन/नवीकरण के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं पूरा पता:-

आवेदक का
अभिप्रमाणित फोटो

2. मुख्तारनामा धारणा करने वाले व्यक्ति का नाम और उसकी राष्ट्रीयता। मुख्तारनामा की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।

आवेदक के पावर
ऑफ अटार्नी धारण
करने वाले व्यक्ति
की अभिप्रमाणित
फोटो

3. साझीदारों के नाम, उनकी राष्ट्रीयता।
4. श्रेणी जिसमें निबंधन कराना चाहते हैं।
5. क्या आवेदक या उसका कोई साझीदार या शेयर धारक का नाम काली सूची में दर्ज है, अथवा निलंबित है या पूर्व में निलंबित हुआ था अथवा काली सूची में दर्ज हुआ था।
6. निबंधन फीस से संबंधित ब्योरा:-
बैंक ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक-
बैंक का नाम-

मूल्य-

नोट:-

1. ठीकेदार वैसे अंचल में निविदा दाखिल करने के हकदार नहीं होंगे जिसमें उनके नजदीकी संबंधी प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है।। किसी ठीकेदार द्वारा इस शर्त का उल्लंघन निबंधन सूची से नाम हटाने के लिये पर्याप्त होगा।
2. नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है पति/पत्नी/गाता/पिता/भाई अथवा बहन।
3. मैं/हमलोग प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमलोगों का/के नाम ठीकेदार/ठेकेदारों के रूप में विभाग में अभी किसी वर्ग में निबंधित नहीं है।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर और पता

अनेक्सचर - "ख"
बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
निबंधन प्रमाण-पत्र

श्री
पता

आवेदक का
अभिप्रमाणित फोटो

आवेदक के पावर
ऑफ अटार्नी धारण
करने वाले व्यक्ति
की अभिप्रमाणित
फोटो संलग्न करें

को श्रेणी में अवधि दिनांक से

..... तक के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के
संवेदक के रूप में निबंधित किया जाता है।

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

पटना, दिनांक-

को सूचनार्थ अग्रसारित।

ज्ञापक:-
प्रतिलिपि:- श्री/मे०

सक्षम पदाधिकारी/
निबंधन करने वाले पदाधिकारी
हस्ताक्षर (मुहर सहित)

164

महत्वपूर्ण सूचनाएँ :-

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित संलग्न करें।

- 1 PAN कार्ड की छाया प्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
- 2 आवेदन पत्र में दिये गयी सभी फोटो को भी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कराये।
- 3 Address Proof
- 4 बैंक ड्राफ्ट मूल में संलग्न करें।
- 5 यदि मुख्तारनामा है तो उसकी अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

उपर्युक्त के बिना निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

कार्यालय उपयोग के लिए

उपर्युक्त संवेदक श्री

पता :-

श्रेणी:-

वग निबंधन दिनांक

से

(डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या

दिनांक

तक के लिए रुपये

बैंक का नाम

) में किया गया।

उपर्युक्त संवेदक के मुख्तारनामा के संबंध में दर्ज किया गया कि उपर्युक्त संवेदक श्री / मेसर्स

द्वारा श्री / मेसर्स

पता

को पावर ऑफ अटार्नी प्रदान किया

गया है।

दिनांक

सक्षम पदाधिकारी/

निबंधन करने वाले पदाधिकारी

हस्ताक्षर (मुहर सहित)